"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2018 — फाल्गुन 4, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018 (फाल्गुन 4, 1939)

क्रमांक-3037/वि. स./विधान/2018. —- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018), जो शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 3 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"9.	एएएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	सोसायटी फॉर मीडिया आर्ट्स	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी	ग्राम-माठ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ (सामान्य क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	• पत्रकारिता • जन संचार • मीडिया • ललित कला • प्रदर्शन कला • दृश्य कला • अनुप्रयुक्त कला में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम.
10.	श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट	उप पंजीयक-सात, नई दिल्ली में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 2726, दिनांक 29-03-2000	शदानी दरबार के पास, ग्राम-धनेली, पोस्ट ऑफिस-माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	• विज्ञान • व्यापार प्रबंधन • वाणिज्य • इंजीनियरिंग • कला • होटल प्रबंधन • फैशन डिजाईनिंग में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम.
11.	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी	महर्षि शिक्षण संस्थान	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत एवं रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी, दिल्ली, प्रशासन दिल्ली द्वारा अनुमोदित सोसाइटी	ग्राम-मंगला, तहसील एवं जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (सामान्य क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	• संस्कृत आधारित पाठ्यक्रम/योग, वैदिक साइंस, ज्योतिष, कीर्तन एवं अन्य दर्शन • व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य / प्रबंधन/वित्त • ललित कला/ प्रदर्शन कला/ दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला • होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/ यात्रा एवं पर्यटन • कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान • अभियांत्रिकी/डिजाईन में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिये मंच प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना करने के क्रम में, जिससे वे कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकेंगे एवं जिसके द्वारा राज्य में चलचित्र के निर्माण एवं फिल्म के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा;

और यत: प्रस्तावित विश्वविद्यालयों का लक्ष्य, अभिनव शिक्षा प्रदान करते हुए भारतीय एवं विदेशी विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगी वातावरण सृजित करना है जो विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ायेगा एवं राज्य के युवाओं को रोजगार का बेहतर अवसर प्रदान करेगा;

और यत:, प्रस्तावित विश्वविद्यालय, स्थानीय व्यवसाय से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सहबद्ध राज्य के लोगों के साथ-साथ विद्यार्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा तथा जिसके द्वारा विश्वविद्यालय, राज्य में रोजगार उत्पादक के रूप में साबित होगा, जो आय के अतिरिक्त स्त्रोत प्रदान करते हुए, राज्य के आय में वृद्धि करने में मददगार होगा;

अतएव उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) के प्रावधानों को संशोधित करते हुए, एएएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एवं आर्ट्स; श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी एवं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी के रूप में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुशंसा करती है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 16 फरवरी, 2018

प्रेम प्रकाश पाण्डेय
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 9 (1) के अंतर्गत अनुसूची का सुसंगत उद्धरण :-

अनुसूची [धारा 9(1) के अन्तर्गत]

क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की विधि	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय	ऑल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट)	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-208 दिनांक 14-08-2002	करगी रोड, कोटा, जिला-बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की तकनीकी (अभियांत्रिकी, ग्रामीण एवं सूचना), विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा उससे संबंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-2342 दिनांक 07-05-2003	आरंग-खरोरा हाईवे, ग्राम पंचायत-गुल्लु, ग्राम-गुल्लु, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों का प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैवविज्ञान, फार्मेसी, कला एवं मानविकी, विधि शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.
3.	कलिंगा विश्वविद्यालय	भगवान श्री बाला सांई एजुकेशनल एंड चेरीटेबल सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक 2561 छ. ग. राज्य, दिनांक 08-01-2004	ग्राम कोटनी, पलौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	मैनेजमेंट कम्प्यूटर साईंस इनफारमेशन टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, बायो इंफार्मेटिक्स, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान पाठ्यक्रम.
4.	आई. सी. एफ. ए. आई. विश्वविद्यालय	दि आई. सी. एफ. ए. आई. सोसायटी, रायपुर	छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. रा./203 दिनांक 25 जुलाई, 2002	ग्राम -चोरहा, आर. आई. सर्किल, अहिवारा तह. धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)	छत्तीसगढ़ राज्य	व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कला, ह्यूमनटीज, विधि, शिक्षा विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	आई. टी. एम. विश्वविद्यालय	आई. टी. एम. सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक - 2755 छ. ग. राज्य दिनांक 13-08-2003	प. ह. नं. 137 ग्राम-उपरवारा तह.-अभनपुर जिला-रायपुर पिन-493661	छत्तीसगढ़	• कम्प्यूटर साईंस • इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी • बायो-टेक्नोलॉजी • बायो-इंफॉर्मेटिक्स • कला • विज्ञान • वाणिज्य • इंजीनियरिंग • माइक्रोबायआलॉजी • नैनोटेक्नोलॉजी • फार्मेसी • बीमा • शारीरिक शिक्षा • व्यवसाय प्रबंधन • ह्यूमैनिटीज • विधि • शिक्षा विज्ञान • स्वास्थ्य विज्ञान • हॉटल मैनेजमेंट • फैशन डिजाइनिंग • पत्रकारिता एवं जनसंचार • प्रबंधन प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच. डी. तथा अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम.
6.	एमिटी यूनिवर्सिटी	श्री रितनंद बलदेव इंटरनेशनल एजुकेशन फाउन्डेशन	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) पंजीयन क्र. एस - 30655 सन् 1996, दिनांक 19-12-1996	ग्राम-मांठ तहसील-तिल्दा जिला-रायपुर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• कला • विज्ञान • वाणिज्य • इंजीनियरिंग • नैनो-टेक्नोलॉजी • व्यवसाय प्रबंधन • विधि • हॉटल मैनेजमेंट • फैशन डिजाईनिंग विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच. डी. और अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	ओ. पी. जिंदल यूनिवर्सिटी	जिंदल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक-बी. एस. 2171, दिनांक 04-05-1998	ओ. पी. जिंदल नालेज पार्क, ग्राम-पुंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संकाय • मैनेजमेंट विज्ञान संकाय • विज्ञान संकाय • शिक्षा संकाय • शारीरिक शिक्षा संकाय
8.	आई. एस. बी. एम. यूनिवर्सिटी	अल्फा फाउन्डेशन	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत तथा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (1950 का सं. 29) के अधीन स्वीकृत सोसाइटी पंजीयन क्र.-एफ/18944/ थाने, दिनांक 25-02-2010	ग्राम-छुरा, तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़ (अनुसूचित क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	• पत्रकारिता/जन संचार/मीडिया • कला/मानविकी (ह्यूमेनिटीज)/ सामाजिक विज्ञान • शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण • विधि • व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/ प्रबंधन/वित्त • पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान • ललित कला/कला प्रदर्शन/ दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला • होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/ पर्यटन/यात्रा • विज्ञान/अनुप्रयुक्त विज्ञान • अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/डिजाइन • व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास • पैरामेडिकल/नर्सिंग • स्वास्थ्य एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान • संस्कृत साऊंडिंग उपाधि में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम तथा एम. फिल., पीएच. डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय पाठ्यक्रम."

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.